न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द

(रामचरन शर्मा आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

पत्रावली संख्या :– 18/2019
जीसीएमएस न :– 2019/00040
दायर दिनांक :– 03/04/2019
निर्णय दिनांक :– 02/09/2022

अनवान

1. विकास अधिकारी, पंचायत समिति देवगढ, जिला राजसमन्द (राज0)

———निगराकार

बनाम

1. श्री रेवतलाल पिता मांगीलाल गुर्जर निवासी दौलपुरा,ग्राम पंचायत दौलपुरा, पचायत समिति एवं तहसील देवगढ
2. ग्राम पंचायत दौलपुरा जरिए सरपंच ग्राम पंचायत दौलपुरा ग्राम पंचायत दौलपुरा पंचायत समिति एवं तहसील देवगढ
3. श्री लक्ष्मणलाल पिता प्रताप गुर्जर निवासी पितामपुरा ग्राम पंचायत दौलपुरा पंचायत समिति एवं तहसील देवगढ

———गैर निगराकार

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 निगरानी विरूद्ध आदेश अधीनस्थ ग्राम पंचायत दौलपुरा पत्रावली संख्या 14 निर्णय दिनांक 04.06.2004 मे पारित निर्णय दिनांक 05.11.2004 की पालना में दिया गया पट्टा बुक संख्या 36 का पट्टा क्रमांक 1780 को निरस्त कराने बाबत्।

उपस्थित :–

1– श्री अब्दुल हकीम चुडीगर, अधिवक्ता निगराकार
2– श्री श्याम सुन्दर पालीवाल , अधिवक्ता गैर निगराकार

–: निर्णय :–

प्रस्तुत निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है । ग्राम पंचायत दौलपुरा द्वारा गैरनिगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा अहस्तान्तरणीय होते हुए उसे विक्रय नहीं किया जा सकता है। उक्त पट्टे को गैरनिगराकार संख्या 1 ने गैरनिगराकार संख्या 3 को जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 08.12.2015 को–

अतिरिक्त जिला कलक्टर
राजसमन्द

P.T.O.

विक्रय कर दिया जिसं कारण पट्टा बुक संख्या 36 पट्टा क्रमांक 1780 स्वतः निरस्त हो भूमि पर हुआ निर्माण एवं पडी सामाग्री का स्वामित्व पंचायत में निहित हो गया। ग्राम पंचायत ने अपनी सम्पुर्ण कार्यवाही अनियमितातापूर्ण तरीके से कर ग्राम पंचायत के हितो के विरूद्ध कार्य किया जिसकी शिकायत प्राप्त होने पर जॉच अधिकारी ने अपनी जॉच में अधीनस्थ ग्राम पंचायत की कार्यवाही को नियम विरूद्ध व पंचायत के हितो के विरूद्ध पाये जाने से गैरनिगरानीकार संख्या 1 को ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा नियम विरूद्ध होने से यह निगरानी पेश की है।

निगरानी दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी तथा शामिल मिसल की गई।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । अधिवक्ता निगराकार ने अपनी बहस में कथन किया है कि ग्राम पंचायत द्वारा की गई सम्पूर्ण विक्रय की कार्यवाही नियम विरूद्ध एवं पंचायत के हितों के विपरित होने से काबिल खारिज है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996 के नियम 158 में कमजोर वर्ग जिनके पास स्वयं के ग्रहस्थल अथवा गृह नहीं है के बारे में प्रावधान है लेकिन इस संबंध में ग्राम पंचायत ने कोई जॉच नहीं की जो एक आदेशात्मक नियम है। लेकिन ग्राम पंचायत ने जान बुझकर इस तथ्य को जानते हुए आवेदक का स्वयं का रहने का मकान एवं खेत है वह इस वर्ग का व्यक्ति नहीं है उसे रियायती दर पर भुखण्ड नहीं दिया जा सकता है रियायती दर पर भुखण्ड विक्रय कर अनियमितता की है इसका स्पष्ट प्रमाण आवेदक गैरनिगराकार संख्या एक का राजस्व गांव दौलपुरा में पुश्तैनी मकान होकर उसमें खेत लाल पिता मांगीलाल गुर्जर का निवास करना है और बाद में इसी आंवटित भुखण्ड को गैरनिगराकार संख्या एक ने तीन को जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 08.12.2015 से विक्रय कर विक्रय नही करने की शर्त का उल्लघंन किया है। गैरनिगराकार संख्या एक को विक्रय की गई भूमि देवगढ से भीलवाडा जाने वाले मेगा राजमार्ग के किनारे स्थित होने से यह भूमि बहुत ही कीमती है जिसे न्यूनतम दर से विक्रय कर दी। इस प्रकार की भुमि उपयोगिता की दृष्टि से वाणिज्यिक होती है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत गैरनिगरानीकार संख्या दो इस भूमि का राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 142 के तहत वाणिज्यिक योजना तैयार कर वाणिज्यिक भुखण्ड की खुली निलामी करता तो ग्राम पंचायत को लाखों की आय का अर्जन होता लेकिन ग्राम पंचायत ने गैरनिगरानीकार संख्या एक के प्रभाव एवं वर्चस्व तले दबे कीमती जमीन काफी कम मूल्य में गैरनिगरानीकार संख्या 1 को विक्रय कर उसे काफी आर्थिक फायदा दे ग्राम -

अतिरिक्त जिला कलक्टर
राजसमन्द

P.T.O.

पंचायत को नुकसान पहुंचाया । अतः निगरानीकार की निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत दौलपुरा द्वारा उसकी पत्रावली संख्या 14 निर्णय दिनांक 04.06.2004 मे पारित निर्णय दिनांक 05.11.2004 की पालना में दिया गया पट्टा बुक संख्या 36 का पट्टा कमांक 1780 को निरस्त फरमाया जावें।

गैरनिगराकार के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया हैं कि उक्त पट्टा विधि सम्मत प्रकिया अपनाते हुए जारी किये गये हैं। निगराकार ने तथ्य के रूप में गलत बाते लिखी है, पंचायत द्वारा विधि सम्मत प्रकिया अपनाते हुए गैरनिगराकार संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है। अतः निगराकार की निगरानी अस्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत दौलपुरा द्वारा जारी पट्टे को यथावत् रखा जावें।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस, विधिक नजीरों, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड, विकास अधिकारी, पंचायत समिति देवगढ द्वारा उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित जॉच रिपोर्ट दिनांक 25.02.2019, दृष्टिगत के आधारों पर निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत दौलपुरा द्वारा उसकी पत्रावली संख्या 14 निर्णय दिनांक 04.06.2004 मे पारित निर्णय दिनांक 05.11.2004 की पालना में दिया गया पट्टा बुक संख्या 36 का पट्टा कमांक 1780 को निरस्त किया जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत दौलपुरा को प्रतिप्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि वे प्रकरण में प्रश्नगत भूमि के मौके कि वस्तु स्थिति, विधिक प्रावधानों एवं नियमों के परिपेक्ष्य में परिक्षण कर उपरोक्त आर्ब्जवेशन को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त पट्टे के सम्बन्ध में युक्तियुक्त सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर साक्ष्य–सबुतों व गुणावगुण के आधार पर सुस्थापित विधिक प्रक्रियानुसार विधि सम्मत कार्यवाही सम्पादित करें।

निर्णय आज दिनांक 02.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया जो शामिल पत्रावली रहे, संबंधित को नियमानुसार पालनार्थ प्रेषित हों। पत्रा0 फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर रहें।

02/09/2022

(रामचरन शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द